

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02/नॉन आर0ए0पी0डी0आर0पी0-02/2012

पटना, दिनांक -

प्रेषक:

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

आर0 ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत IT implementation के किये जा रहे कार्यों के अतिरिक्त बचे हुए क्षेत्रों में IT implementation के कार्यों हेतु Non-RAPDRP योजना के अन्तर्गत राज्य योजना से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की 16.18 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.3423 करोड़ (सात करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-1118 दिनांक-30/03/17 के आलोक में आर0 ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत IT implementation के किये जा रहे कार्यों के अतिरिक्त बचे हुए क्षेत्रों में IT implementation के कार्यों हेतु Non-RAPDRP योजना के अन्तर्गत राज्य योजना से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की 16.18 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.3423 करोड़ (सात करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि मुख्य शीर्ष-4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 05- संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उप शीर्ष 0111- बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड की परियोजना, मांग संख्या-10 विपत्र कोड संख्या P4801051900111, विषय शीर्ष 5401-निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
1275053000.00	1167000000.00	73423000.00	1240423000.00	34630000.00

3.

इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

कृ0पृ0उ0

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी० एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ उपशीर्ष-0047-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष एल० 8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-कै०-8448001200047 में जमा की जाएगी।

7. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक- प्र०२/नॉन आर०ए०पी०डी०आर०पी०-०२/२०१२

दिनांक

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक- प्र०२/नॉन आर०ए०पी०डी०आर०पी०-०२/२०१२

दिनांक 30/03/2017

प्रतिलिपि:-उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।